अध्याय 5

वन्य प्राणियों, प्राणी-वस्तुओं तथा ट्राफियों का व्यापार या वाणिज्य

39. वन्य प्राणियों आदि का सरकार का संपत्ति होना-- (1)(क) पीड़क जन्तु से भिन्न प्रत्येक वन्यप्राणी जिसका धारा 11 या धारा 29 उपधारा (6) के अधीन आखेट किया जाता है या जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में बंदी स्थिति में रखा जाता है या पैदा होता हैया शिकार किया जाता है अथवा जिसे तृत पाया जाता है या जिसका भूल से वध कर दिया जाता है; और

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी वन्यप्रणी से, जिसके संबंध में कोे अपराध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के विरुद्ध किया गया है व्युत्पन्न प्रत्येक प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी या मांस;

(ग) भारत में आयातित हाथीदांत और ऐसे हाथीदांत से बनी कोई वस्तु जिसकी बाबत इस अधिनियम या उसके अधीन बना गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है;

(घ) यान, जलयान, आयुध, फांसा या औजार जिसका प्रयोग अपराध करने के लिए किया गया है और जिसका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभिहण किया गया है;

राज्य सरकार की संपत्ति होगा और जहां ऐसे प्राणी का, केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किस अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आदखेट किया जाता है वहां ऐसा प्राणी या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न कोई प्राणी-वस्तु, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी या मांस या ऐसे आखेट में प्रयुक्त कोई यान, जलयान, आयुध, फांसा या औजार केन्द्रीय सरकार की संपत्ति होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति का कब्जा अभिप्राप्त करना है, ऐसा कब्जा अभिप्राप्त करने से अड़तालीस घंटों के भीतर ऐसे कब्जे की रिपोर्ट निकटतम थाने के भार साधक अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के हवाले कर देगा।

(क) अर्जित नहीं करेगा, अपने कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में नहीं रखेगा;

(ख) किसी व्यक्ति को दान के तौर पर, विक्रय द्वारा या अन्यथा अन्तरित नहीं करेगा; या

(ग) नष्ट नहीं करेगा या उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

40. घोषणाएं-- (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसके नियंत्रण अभिरक्षा या कब्जे में इस अधिनियम के प्रारंभ पर अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट कोई बंदी प्राणी या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न कोई प्राणी वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी या एसे प्राणी की नमक लगाई गई या सुखाई गई चालें या कस्तुरी मृग, कस्तूरी या गैंडे के सींग हैं, वह इस अधिनियम के प्रारंभ से तीस दिन के भीतर प्राणी या ऊपर बताई गई प्रकार की वस्तु की, जो उसके नियंत्रण, अभरक्षा या कब्जे में है, संख्या और वर्णन तथा वह स्थान जहां ऐसा प्राणी या वस्तु रखी गई है, मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को घोषित करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी का या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न किसी असंसाधित ट्राफी असंसाधित ट्राफी या मांस को या ऐसे प्राणी की नमक लगाई गई या सुखाई गई खालों को या कस्तुरी मृग की कस्तूरी को या गैंडे के सींग को, मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा से ही अर्जित करेगा, प्राप्त करेगा, अपने नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में रखेगा, उसका विक्रय करेगा, उसे विक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा या उसका अन्यथा अन्तरण करेगा या उसके परिवहित करेगा अन्यथा नहीं।

(2क) ऐसे व्यक्ति से, जिसके पास स्वामित्व प्रमाण पत्र है भिन्न कोई व्यक्ति, वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ के पश्चात अनुसूची 1 अथवा अनुसूची 2 के भाग 2 में निविर्दिष्ट किसी बंदी प्राणी, प्राणी-वस्तु या असंसाधित ट्राफी को, उत्तराधिकार के रुप में अर्जित करेगा, प्राप्त करेगा, अपने नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में खेगा, अन्यथा नहीं।

(2ख) उपधारा (2क) के अधीन किसी बंदी प्राणी, प्राणी वस्तु, ट्राफी अथवा असंसाधित ट्राफी को उत्तराधिकार में प्राप्त करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे उत्तराधिकार के नब्बे दिनों के भीतर मुख्य वन्यजीव

संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी के पास घोषणा करेगा और धारा 41 और धारा 42 के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो घोषणा धारा 40 की उपधारा(1) के अधीन की गई थीः

परन्तु उपधारा (2क) और उपधारा (2ख) की कोई बात जीवित हाथी को लगू नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई बात धारा 28झ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी मान्यता प्राप्त चिडियाघर को या किसी लोग संग्रहालय कोलागू नहीं होगी।

(4) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेग कि वह अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भा 2 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी से व्युत्पन्न (कस्तूरी मृग या कस्तूरी या गैंडे के सींग से भिन्न) किसीप्राणी या प्राणी वस्तु या ट्राफी या नमक लगाई या सुखाई गई खालों को जो उसके, नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में है ऐसे प्रारुप में, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मुख्य वन्य जीव संरक्षकया प्राधिकृत अधिकारी को घोषित करे।

40क. कतिपय दशाओं में उन्मुक्ति-- (1) इस अधिनियम की धारा 40की उपधारा (2) और उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति से उसके नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में अनुसची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी बंदी प्राणी, प्राधियों से व्युत्पन्न प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी की, जिसकी बाबात धारा 40 की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन कोई घोषणा नहीं की थी, मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी के पास घोषणा करने की अपेक्षा ऐसे प्रारुप में, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर कर सकेगी, जैसा विहित किया जाए।

(2) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रारंभ से पूर्व किसी भी समय, इस अधिनियम की धारा 40 के अतिक्रमण के लिए की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और सभी लंबित कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन घोषित किसी बंदी प्राणी-प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी पर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कार्यवाही की जाएगी।

41. जांच और तालिकाएं तैयार करना-- (1) धारा 40 के अधीन की गई घोषणा के प्राप्त होने पर मुख्य वन्यजीव संरक्षण या प्राधिकृत अधिकारी ऐसी सूचना, ऐसी रीति में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाएख् देने के पश्चात-

(क) धारा 40 निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के परिसरमेंप्रवेश कर सकेगाः

(ख) प्राणी-वस्तुओं, ट्राफियों, असंसाधित ट्राफियों, नमक लगाई गई और सुखाई गई खालों और अनुसूची 1 और मनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट और उन परिसरों में पाए गए बंदी प्राण्यिों की जांच कर सकेगा तथा उनकी तालिकाएं तैयार करसकेगा; और

(ग) प्राणियों, प्राणी-वस्तुओं, ट्राफियों या असंसाधित ट्राफियों पर पहचान चिन्ह ऐसी रीति से लगा सकेगा जो विहित की जाएं।

(2) कोई भी व्यक्ति इस अध्याय में निर्दिष्ट किसी पहचान चिन्ह को न तो मिटाएगा ओर न उसका कूटकरण करेगा।

42. स्वामित्व का प्रमाण-पत्र-- मुख्य वन्यजीव संरक्षक, 40 धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी किसी व्यक्ति को, जो उसकी राय में किसी वन्यप्राणी या किी प्राणी-वस्तु, असंसाधित ट्राफी का विधिपूर्ण कब्जा रखता है ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जारी कर सको और जहां संभव हो ऐसी प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी को उसकी पहचान के प्रयोजनार्थ विहित रीति से चिन्हित कर सकेगाः

परन्तु किसी बंदीप्राणी के संबंध में स्वामित्व का प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व, मुख्य वन्यजीव संरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक के पास उस प्राणी के आवासन, उसका रखरखाव करने तथा उसकी देखभाल कनरने की पर्याप्त सुख-सुविधाएं हैं।

43. प्राणी, आदि के अंतरण का विनियमन-- (1) कोई भी व्यक्ति, जिसके कब्जे में ऐसा बन्दी प्राणी, प्राणी-वस्तु, ट्राफी अथवा संसाधित ट्राफी है, जिसके संबंध में उसके पास स्वामित्व प्रमाण पत्र है, ऐसी प्राणी अथवा प्राणी-वस्तु, ट्राफी अथवा असंसाधित ट्राफी अथवा असंसाधित ट्राफी का विक्रय या विक्रय की प्रस्थापना के रुप में या वाणिज्यिक प्रकृति के प्रतिफल के किसी अन्ल्य ढंग से कोई अन्तरण नहीं करेगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति, किसी ऐसे प्राणी, प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी की जिसके संबंध में उसके स्वामित्व प्रमाणपत्र है, उस राज्य में जिसमें वह रहता है, अन्य राज्य को अन्तरित अथवा परिवहित

करता है अथवा राज्य के बाहर से अन्तरण द्वारा अर्जित करता है, वहां वह अन्तरण या परिवहन के तीस दिनों के भीतर उस अंतरण या परिवहन की रिपोर्ट मुख्य वन्य जीव संरक्षक अथवा प्राधिकृत अधिकारी को देगा, जिसकी अधिकारिता के भीतर वह अंतरण अथवा परिवहन किया जाता है।

(3) इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी:-

(क) मोर की पूंछ के पंख और प्राणी-वस्तु या उनसे बनाई गई ट्राफियाँ;

(ख) धारा 38झ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बन्दी प्राणियों का मान्यता प्राप्त चिडियाघरों के बीच अन्तरण और चिडियाघरों और लोक संग्रहालकों के बीच अन्तरण।

44. अनुज्ञप्ति के बिना ट्राफी और प्राणी वस्तुओं के व्यवहार का प्रतिषिद्ध होना-- (1) अध्याय 5क के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति, उपधारा (4) के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसरण में हो --

(क) निम्नलिखित रुप में कारबार प्रारंभ करेगा चलाएगाः-

(i) किसी प्राणी-वस्तु विनिर्माता या उसका ब्यौहारी; या

(ii) चर्म पूरक; या

(iii) ट्राफी या असंसाधित ट्राफी का ब्यौहारी; या

(iv) बंदी प्राणियों का व्यौहारी; या

(v) मांच का व्यौहारी; या

(ख) किसी भोजनालय में मांस पकाएगा या परोसेगा, अन्यथा नहीं;

(ग) सर्प विषय व्युत्पन्न करेगा, उसका संग्रहण करेगा या उसे तैयार करेगा अथवा उसका व्यौहार करेगाः

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले इस उपधारा में वर्णित कारबार या उपजीविका चला रहा था, ऐसे प्रारंभ को, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पहले इस उपधारा में वर्णित कारबार या उपजीविका चला रहा था, ऐसे प्रारंभ से तीस दिन की अवधि तक या जहां उसने अपने को अनुज्ञप्ति किए जाने के लिए उस अवधि के भीतर आवेदन कर दिया है वहां उस समय तक जब तक कि उस अनुज्ञप्ति नहीं दी जाती है या उसे लिखित रुप में यह सूचित नहीं कर दिया जाता है कि उसे अनुज्ञप्ति नहीं दी सकती, ऐसा कारबार या उपजीविका चलाने से निवारित नहीं करेगीः

परन्तु यह और कि इस उपधारा की कोई बात मोर के पूंछ वाले पंखों और उससे बनी वस्तुओं के व्यौरियों तथा ऐसी वस्तुओं के विनिर्माताओं को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "भोजनालय" के अन्तर्गत होगटल, रेस्तरांत या अन्य ऐसा स्थान है जहां कि कोई खाद्य वस्तु संदाय करने पर परोसी जाती है, चाहे ऐसा संदाय ऐस खाद्य वस्तु के लिए अलग से किया गया है या वह भोजन और आवास के लिए प्रभारित राशि में सम्मिलित है।

(2) प्राणी-वस्तुओं का प्रत्येक विनिर्माता या व्यौहारी या बंदी प्राण्यिों, ट्रफियों या असंसाधित ट्राफियों का व्यौहारी, या प्रत्येक चर्म पूरक स अधिनियम के प्रारंभ से पन्द्रह दिन के भीतर, यथा स्थिति प्राणी-वस्तुओं, बंदी प्राणियों, ट्राफियों और असंसाधित ट्राफियों के अपने वे स्टाक मुख्य वन्यजीव संरक्षक को घोषित करेगा जो ऐसी घोषणा की तारीख को हों और मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी, यथा स्थिति, प्रत्येक प्राणी वस्तु, बंदी प्राणी, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी पर पहचान चिन्ह लगा सकेगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति जिसका आशय अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना है, अनुज्ञप्ति किए जाने के लिए मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा।

(4) (क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्रारुप और ऐसी फीस का संदाय करके किया जाएगा जो विहित की जाए

(ख) उपधारा (1) मे निर्दिष्ट कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी का, आवेदक के पूर्ववृत्तो औरपनूर्व अनुभव को, उन विवक्षाओं को, जो ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए जाने से वन्यजीव की प्रास्थिति पर होंगी और ऐसे अन्य विषयों को, जा इस निमित्त विहित किए जाएं, ध्यान में रखते हुए और उन विषयों की बाबत ऐसी जांच करने के पश्चात, जो वह ठीक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता है कि अनुज्ञप्ति दी जानी चाहिए।

(5) इस धारा के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति में वे परिसर जिनमें और वे शर्तें, यदि कोई हो, जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञाप्तिधारी अपना कारबार करेगा निविर्दिष्ट होगी।

(6) इस धारा के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति --

(क) उसके दिए जाने की तारीख ऐ एक वष के लिए विधिमान्य होगी;

(ख) अन्तरणीय नहीं होगी; और

(ग) एक समय में एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए नवीकरणीय नहीं होगी।

(7) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कोई आवेदनतक तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक को अपना मामला प्रस्तुत करने या युक्तियुक्त अवसर नहीं दी दिया गया है और जब तक कि मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकरी का यह समाधान नीं हो जाता है कि:-

(i) ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन उसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात किया गया है;

या

(ii) अनुज्ञप्ति के दिए जाने या नवीकरण के समय आवेदक द्वारा किया गया कोई कथन गलत था या उसका महत्वपूर्ण अंश मिथ्या था, या

(iii) आवेदक ने अनुज्ञप्ति के किसी निबंधन या र्श का या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाऐ गए किसी नियम के उपबंध का उल्लंघन किया है, या

(iv) आवेदक के लिए जाने जाने नवीकरण के आवेदन का मंजूर या खारिज करने वाला प्रत्येक आदेश लिखित रुप में किया जाएगा।

(9) पूर्वोत्त उपधाराओं की कोई भी बात पीड़क जन्तू के संबंध में लागू नहीं होगी ।

45. अनुज्ञप्तियों का निलंबित या रद्द किया जाना-- राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, मुख्य वन्यजीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकरी धारा 44 के अधीन दी गई या नवीकृत किसी अनुज्ञप्ति को, ऐसे कारणों से,जिन्हें वह लेखबद्ध करेगा, निलंबित या रद्द कर सकेगाः

परन्तु अनुज्ञप्ति के धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना ऐसेा कोई निलंबन या रद्दकरण नहीं किया जाएगा।

46. अपील -- (10) धारा 44 क अधीन अनुज्ञप्ति दिए जाने या उसका नवीकरण करने से इंकार करने वालेया 45 के अधीन अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द करने वाले आदेश से अपीलः-

(क) यदि आदेश, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है तो मुख्य वन्यजीव संरक्षक को; या

(ख) यदि ओदश मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा किया गया है तो राज्य सरकार को, होगी।

(2) उपधारा (1) खण्ड (क) के अधीन अपील में मुख्य वन्यजीव संरक्षक द्वारा पारित आदेश की दशा में द्वितीय अपील राज्य सरकार को होगी।

(3) पूर्वोत्त बातों के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन की गई अपील में पारित प्रत्येक आदेश अंतिम होगा।

(4) इस धारा के अधीन अपील उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, आवेदन को संसूचना की जारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगीः

परन्तु यदि अपील प्राधिकरण का यह समाधानहो जाता है कि अपीलार्थी के पास समय से अपील न करने का प्र्याप्त हेतुक था तो वह पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात की गई किसी अपील को ग्रहण् कर सकेग।

47. अभिलेखें का रखा जाना-- इस अध्याय के अधीन अनुज्ञप्तिधारी --

(क) अभिलेख रखेगा और अपने व्यवहार की ऐसी विवरणियां निम्नलिखित को देगा जो विहित की जाएं --

(i) निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, और

(ii) मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी, और

(ख) ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण क लिए मांग किए जाने पर ऐसे अभिलेख उपलब्ध करेगा।

48. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राणी आदि का क्रय-- इस अधयाय के अधीन कोई भी अनुज्ञप्तिधारी ऐसे नियमों के, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, अनुसार ही--

(क) अपने नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में --

(i) किसी ऐसे प्राणी, प्राणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी की, जिसके बारे में धारा 44 की उपधारी (2) के उपबंधों के अधीन घोषणा की जानी है किन्तु घोषणा की नहीं गई है;

(ii) किसी ऐसी प्राणी-वस्तु, असंसाधित ट्राफी या मांस को, जो इस अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों के अधीन विधिपूर्वक अर्जित नहीं किय गया है,

(ख) (i) किसी वन्य प्राणी को पकड़ेगा, या

(ii) अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी बंदी प्राणी या उससे व्युत्पन्न किसी प्राणी-वस्तु, ट्राफी असंसाधित ट्राफी या मांस को अजित करेगा, प्राप्त करेगा, अपने नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में रखेगा, या उसका विक्रय करेगा, उसके विक्रय की प्रस्थापना करेगा या उसका परिवहन करेगा, या ऐसे मांस को परोसेगा या उस पर चर्म पूरण की प्रक्रिया करेगा या उससे कोई प्राणी-वस्तु जिसमें ऐसा पूरा प्राणी या उसका कोई भाग हो, बनाएगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु जहां ऐसे प्राणी या प्रणी-वस्तु, ट्राफी या असंसाधित ट्राफी का अर्जन या कब्जा, नियंत्रण या अभिरक्षा एक राज्य से दूसरे राज्य को उसका अन्तरण या परिवहन आवश्यक बना देती है वहां ऐसा अन्तरण या परिवहन निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीः

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक के अधीन कोई भी ऐसी अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि दिशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि पूर्वोत्त प्राणी या प्राणी-वस्तु विधिपूर्वक अर्जित की गई है।

48क. वन्यजीव के परिवहन पर निर्बधन-- कोई व्यक्ति (पीड़क-जन्तु से भिन्न्) कोई वन्यप्राणी या कोई प्राणी वस्तु या कोई विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन्नी, पहरवनि के लिए, यह अभिनिश्चित करने के लिए सम्पयक सावधानी बरतने के पश्चात ही मुख्य जीव संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकरी से ऐसे परिहवन के लिए अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है, स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं।

49. अनुज्ञाप्तिधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बंदी प्राणी का क्रय-- कोई भी व्यक्ति, पीडक जन्तु से भिन्न्, किसी बन्दी प्राणी, वन्यप्राणी या उससे व्युत्पन्न प्राणी-वस्तु, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी या मांस को इस अधिनियम क अधीन उसे विक्रय या अन्यथा अन्तरण करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यौहारी या व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय या अर्जित नहीं करेगाः

परन्तु इस धारा की कोई बात धारा 38झ के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी मान्यता प्राप्त चिडियाघर को या किसी लोक संग्रहालय को लागू नहीं होगी।

अध्याय 5क:

कुछ प्राणियों से व्युत्पन्न ट्राफी, प्राणी-वस्तुओं आदि में व्यापार या वाणिज्य का प्रतिषेध

49क. परिभाषाएँ-- इस अध्याय में--

(क) **"अनुसूचित प्रणी"** से अनुसूची 1 में या अनुसूची 2 के भाग 2 में तत्समय विनिर्दिष्ट कोई प्राणी अभिप्रेत है;

(ख) **"अनुसूचित प्राणी-वस्तु"** से किसी अनुसूचित प्राणी से बनाई गई कोई वस्तु अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा वस्तुया पदार्थ है, जिसमें ऐसे पूरे प्राणी या उसके किसी भाग का उपयोग किया गया है किन्तु इसके अन्तर्गत मोर का पूंछ वाला पंख, उससे बनी हुई वस्तु या ट्राफी और सर्प विषय या उसका व्युत्पन्नी नहीं है;

(ग) **"विनिर्दिष्ट तारीख"** से अभिप्रेत है:-

(i) वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1986 के प्रारंभ पर किसी अनुसूचति प्राणी के संबंध में, ऐसे प्रारंभ से दो मास की समाप्ति की तारीख;

(ii) ऐसे प्रारंभ के पश्चात किसी समय अनुसूची 1 में या अनुसूची 2 के भाग 2 में जोड़े गए या उसको अन्तरित किए गए किसी प्राणी के संबंध में, ऐसे जोड़े या अन्तरित किए जाने से दो मास की समाप्ति की तारीख;

(iii) भारत में आयातित हाथीदांत या ऐसे हाथीदांत से बनी किसी वस्तु के संबंध में वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1991 के प्रारंभ से छह मास की समाप्ति की तारीख।

49ख. अनुसूचति प्राणियों से व्युत्पन्न ट्राफियों, प्राणी वस्तुओं, आदि में व्यौहार का प्रतिषेध --

(1) इस धारा के अन्य संबंधों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट तारीख को औ उसके पश्चात कोई व्यक्ति-

(क) (i) अनुसूचित प्राणी-वस्तुओं के विनिर्माता या उसके व्यौहारी; या

(iक) भारत में आयमित हाथीदांत या उससे बनी वस्तुओं के व्यौहारी या ऐसी वस्तुओं का विनिर्माता; या

(ii) किसी अनुसूचित प्राणी या ऐसे प्राणी के किसी भाग के संबंध में चर्मपूरक; या

(iii) किसी अनुसूचित प्राणी से व्युत्पन्न ट्राफी या असंसाधित ट्राफी के व्यौहारी; या

(iv) किसी अनुसूचित प्राणी से व्युत्पन्न मांस के व्यौहारी

(v) किसी अनुसूचति प्राणी से व्युत्पन्न मांस के व्यौहारी

के रुपमें कारबार शुरु नहीं करेगा या नहीं चलाएगा; या

(ख) किसी भोजनालय में किसी अनुसूिचित प्राणी व्युत्पन्न मांस नहीं पकाएगा या नहीं परोसेगा।

स्पष्टीकरण-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "भोजनालय" का वही अर्थ है जो धारा 44 कील उपधारा (1) नीचे के स्पष्टीकरणमें है।

(2) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व धारा 44 के अधीन दी गई या नवीकृत कोई अनुज्ञप्ति, उसके धारक को या किसी अन्य व्यक्ति को इस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी कारबार को याउस उपधारा के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट उपजीविका को ऐसी तारीख से पश्चात शुरु करने या चलाने का हकदार नहीं बनाएगी।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निर्यात के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में के किसी निगम को (जिसके अन्तर्गत कंपनी अधिनियम,1956 (1956 का 1) की धारा 617 के अर्थ में कोई सरकार कंपनी है) अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के

अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसाइटी को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ण रुप से पर्याप्त रुप से वित्तपोषित है, उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी उपबंधों से छूट दे सकेगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु किन्हीं ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं, चर्मपूरक के रुप में कारबार चलाने के लिए धारा 44 के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति, किसी अनुसूचित प्राणी या उसके किसी भाग पर--

(क) सरकार या उपधारा (3) के अधीन छूट प्राप्त किसी निगम या सोसाइटी के लिए या उसकी ओर से; अथवा

(ख) शैक्षिक या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से मुख्य वन्यजीव संरक्षक के लिखित पूर्व प्राधिकार से, चर्मपूरण की प्रक्रिया कर सकेगा।

49 ग. व्यौहारी द्वारा घोषणा- (1) धारा 49 ख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार या उपजीविका चलाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, विनिर्दिष्ट तारीख से तीस दिन के भीतर--

(क) (i) अनुसूचित प्राणी-वस्तुओं;
(ii) अनुसूचित प्राणियो और उनके भागो;
(iii) अनुसूचित प्राणियो से व्युत्पन्न ट्राफियों और असंसाधित ट्राफियों;
(iv) बंदी प्राणियें, जो अनुसूची प्राणी हैं,
(v) भारत में आयातित हाथीदांत या उससे बनी वस्तुओं;
के अपने ऐसे स्टाक को, यदि कोई हो,जो विनिर्द्रिष्ट तारीख के अन्त में है;

(ख) उस स्थान या उन स्थानों को, जहां घोषणा में उल्लेखित स्टाक रखे गए हैं; और

(ग) घोषणा में उल्लेखित स्टाक की ऐसी मदों के, यदि कोई हो, वर्णन को जो वह अपने सदभावित वैयक्तिक उपयोग के लिए अपने पास रखना चाहता है, मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्राधिकृत अधिकारी को घोषित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्राप्त होने पर मुख्य वन्य जीव संरक्षक या प्रधिकृत अधिकारी धारा 4 1 में विनिर्दिष्ट सभी या कोई उपाय करेगा और इस प्रयोजन के लिए धारा 4 1 के उपबंध, जहां तक हो सके, लागू होंगे ।

(3) जहां, उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा में, घोषणा करने वाला व्यक्ति घोषणा में विनिर्दिष्ट स्टाक में से किसी मद को अपने सदभाविक वैयक्तिक उययोग के लिए अपने पास रखना चाहता है वहां मुख्य वन्य जीव संरक्षक, निदेशक के पूर्व अनुमोदन से, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति के पास ऐसी मद का विधिपूर्ण कब्जा है तो, यथास्थिति, ऐसी मद या ऐसी सभी मदों के सबंध में, जो मुख्य वन्यजीव संरक्षक की रसय में ऐसे व्यक्ति सदभावित वैयक्तिक उपयोग के लिए अपेक्षित है, ऐसे व्यक्ति के पक्ष में स्वामित्व का प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा और ऐसी मदों पर पहचान चिन्ह ऐसी रीति से लगा सकेगा, जो विहित की जाएः

परन्तु कोई ऐसी मद किसी वाणिज्यिक परिसर में नहीं रखी जाएगी।

(4) कोई व्यक्ति उपधारा (3) के अधीन स्वामित्व का प्रमाण पत्र देने से किसी इंकार के विरुद्ध अपील होगी और धारा 46 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस उपधारा के अधीन अपीलों के संबंध में लागू होंगे।

(6) जहां कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उपधारा (3) के अधीन किसी मद के संबंध में स्वामित्व का प्रमाण पत्र जारी किया गया है--

(क) दान, विक्रय के रुप में या अन्यथा किसी व्यक्ति को ऐसी मद का अन्तरण करता है; या

(ख) उस राज्य से, जिसमें वह निवास करता है, अन्य राज्य को किसी ऐसी मद का अन्तरण या परिहवन करता है,

वहां वहां ऐसे अन्तरण या परिवहन के तीस दिन के भीतर ऐसे अन्तरण या परिवहन की रिपोर्ट उस मुख्य वन्यजीव संरक्षक यक प्राधिकृत अधिकार को देगा, जिसकी अधिकारिता के भीतर ऐसा अन्तरण या परिवहन किया जाता है ।

(7) ऐसे व्यक्ति से , जिसे उपधारा (3) के अधीन स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, भिन्न कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट तारीख को और उसके पश्चात किसी अनुसूचित प्राणी, किसी अनुसूचित प्राणी-वस्तु या भारत में आयातित हाथीदांत या उससे बनी किसी वस्तु को, अपने नियंत्रक के अधीन नहीं रखेगा, उसका किसी व्यक्ति को विक्रय नहीं करेगा अथवा विक्रय के लिए प्रस्थापन नहीं करेगा या अन्तरण नहीं करेगा।